



प्रेषक,

निर्मेष कुमार शुक्ल,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पिकप भवन,
गोमती नगर लखनऊ।

अवस्थापना विकास अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 23.06.2026

विषय:- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने हेतु ग्रीन-फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु धनराशि की मांग।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्रांक 460/बजट/आगरा-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे/2025 दिनांक 29.05.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान संख्या 07 के लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पूंजीगत परिव्यय-03 राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य-18 आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने हेतु नये ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना-24 वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि ₹0 20000.00 लाख में से ₹0 7500.00 लाख की धनराशि (रुपये पचहत्तर करोड़ मात्र) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जाती है-

- (1) धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।
- (2) किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते / अन्य किसी खाते में नहीं रखा जायेगा।
- (3) यूपीडा द्वारा अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रश्रुगत परियोजना नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदित है।
- (4) स्वीकृति धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
- (6) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा उत्तरदायी होंगे।
- (7) उक्त स्वीकृत धनराशि पर नियमानुसार यथावश्यक सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।

(8) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 75,00,00,000 (रुपये पचहत्तर करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026 - 27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 5054033371800** आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने हेतु नये लिंक एक्सप्रेसवे **मानक मद 24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० विभागीय मंत्री जी, अवस्थापना विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
7. वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन गोमती लखनऊ लखनऊ।
8. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन ।
9. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
11. नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
संयुक्त सचिव